न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 15 / 2024	2024 / 80	19.09.2024	09.04.2025

1. रामकिशोर दत्तक पुत्र सूरजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डडीकर तहसील व जिला अलवर।
2. रामकरण पुत्र बक्शी जाति गुर्जर निवासी ग्राम डडीकर तहसील व जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भू—आवंटन सलाहकार समिति, उप—जिलाधीश अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।
3. शीशपाल पुत्र दोलाराम जाति जाट निवासी पी.सी.टी.सी. मिल्ट्री मैन गेट, अलवर तहसील व जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री भीमसिंह —वकील प्रार्थीगण

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी सं0 1

निर्णयः—

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश द्वारा अप्रार्थी सं0 3 के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 476 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 1611, 1613, 1614 वाके ग्राम डडीकर तहसील अलवर पर प्रार्थीगण 50 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण ने बिना कोई मौके की जांच किये कैंप में उपरोक्त खसरा नम्बर 476 रकबा 5 बीघा ग्राम डडीकर तहसील अलवर को अप्रार्थी संख्या 3 को दिनांक 25.06.1975 को आवंटन कर दी। अप्रार्थी संख्या 3 शिशपाल ने कभी भी ग्राम डडीकर तहसील अलवर में रिहायश नहीं की व ना ही आज तक ग्राम डडीकर में रिहायश रखता है तथा आज तक भी आराजी मुतनामा का कब्जा प्राप्त नहीं किया। सदैव से अर्थात आवंटन से पहले से ही प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वक्त अलॉमेन्ट भी प्रार्थीगण काबिज थे। अप्रार्थी संख्या 3 को हमारे ग्राम में ना तो कभी किसी ने देखा है व ना ही कोई जानता है तथा कहां पर उसका स्थाई निवास है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर कभी ना तो कोई जांच की व ना ही पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली कि मौके पर किसका कब्जा—काश्त है। बल्कि गलत तौर पर नियम विरूद्ध उपरोक्त आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 3 के आवेदन पर उसे अलॉट कर दी, जो अलॉटमेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण दिनांक 20.07.2024 को पटवारी हल्का के पास उपरोक्त आराजी की खसरा गिरदावरी की नकल लेने हेतु गये तब पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण को बताया कि रिकॉर्ड में शिशपाल जाट अप्रार्थी संख्या 3 का नाम गैर खातेदारी दर्ज है तथा उपरोक्त आराजी शिशपाल पुत्र डोलाराम जाट को आवंटन की हुई है, जिसके आधार पर उसके नाम खैर खातेदारी दर्ज है। तब सर्वप्रथम प्रार्थीगण को उक्त आराजी के अलॉटमेन्ट के बाबत् जानकारी प्रात हुई, जिस पर प्रार्थीगण ने आवंटन की नकल लेने हेतु दिनांक 22.07.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 24.07.2024 को प्रार्थीगण को प्राप्त हुई।

उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 5 बीघा ग्राम डडीकर तहसील अलवर पर अलॉटमेन्ट पहले से ही प्रार्थीगण काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। जबकि आज तक भी अप्रार्थी संख्या 3 को ना तो कभी सरकार द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा दिया गया व ना ही अप्रार्थीगण संख्या 3 हमारे गांव में आया। ना ही उसने कभी काश्त की। इस

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रकार उपरोक्त आवंटन शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण को उपरोक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.07.2024 को हुई। इसलिए आवंटन दिनांक 20.07.2024 को आवंटन की नकल प्राप्त करने हेतु दिया जो नकल दिनांक 24.07.2024 को प्राप्त हुई। इस प्रकार यह प्रार्थना–पत्र अविलम्ब पेश है। कानूनन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति के आदेश के विरूद्ध माननीय न्याय को श्रवण करने अधिकार है। प्रार्थीगण ग्राम डडीकर तहसील अलवर के निवासी है तथा विवादित आराजी मुतनामा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को किया गया आवंटन खसरा नम्बर 476 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम डडीकर तहसील व जिला अलवर निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन यह किया है कि विवादित आवंटित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 का कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं होने तथा मौका की जॉच किये बिना अप्रार्थी सं0 3 को उक्त आराजी आवटित कर दी गई। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह दर्शित होता हो कि आवंटन कमेटी द्वारा उक्त विवादित आराजी आवंटित करने से पूर्व सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी किया हो या मौका रिपोर्ट मंगवाई गई हो। आवंटी/अप्रार्थी सं. 3 का मौके पर दखल देने का कोई प्रमाण तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर उद्घोषणा जारी कर चस्पा करने का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हाल आराजी खसरा नंबर 1611, 1613, 1614 वाके ग्राम डढीकर की वर्तमान मौका रिपोर्ट तहसीलदार (भू0अ0) अलवर से मंगवाई गई जिसमें अंकित किया गया है कि मुताबिक जमाबंदी हाल खसरा नंबर 1611, 1613ा, 1614 किता 3 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम डढीकर में शिशपाल पुत्र दोलतराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.पी.सी.टी.सी. अलवर मिल्ट्री मैन गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का तेहडपुर मौके पर हाल आराजी खसरा नंबर 1611 रकबा 0.86 है0, ख.नं. 1613 रकबा 0.10 है0 किता 2 रकबा 0.96 है0 में रामकिशोरा, रामकरण पुत्रान बक्शी जाति गुर्जर तथा ख.नं. 1614 रकबा 0.30 है0 में धर्मी, मुकेश पुत्रान बंडी जाति गुर्जर निवासी डढीकर द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। पटवारी हल्का तेहडपुर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर शिशपाल पुत्र दौलतराम जाति जाट गैर खातेदार का वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जॉच के, बिना उद्घोषणा के अप्रार्थीगण के पिता को उक्त विवादित आराजी आवंटित की गई है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1975 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1975 निरस्त किया जाता है। यदि अपीलाण्ट का कब्जा पाया जाता है तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी। अंधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है नियमों के आलोक में मौका–कब्जा की जॉच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)